केन्द्र प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि

सं0सं0-3/यो-स०क०-48/2023/.......104

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश

(संख्या /2025-26)

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर भा०प्र०से०,
संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -14.8.2025

विषय:- **वितीय वर्ष 2025-26 में मिशन शक्ति के तहत सामर्थ्य उप योजना अन्तर्गत शक्ति सदन के संचालनार्थ केन्द्रांश मद में कुल रू० 304.17 लाख (तीन करोड चार लाख सतरह हजार) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मिशन शक्ति योजना के तहत सामर्थ्य उप योजना अन्तर्गत महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शक्ति सदन योजना संचालित है। उक्त योजना के अन्तर्गत मानव तस्करी की शिकार तथा कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं को सुरक्षित तथा सकुशल वातावरण प्रदान करना है ताकि उन्हें कठिन स्थितियों से निकलनें में मदद मिल पाये तथा वो पुन: अपने जीवन की एक नई शुरूआत कर सके। वितीय वर्ष 2025-26 में मिशन शक्ति के तहत सामर्थ्य उप योजना अन्तर्गत शक्ति सदन के संचालनार्थ कुल रू० 1516.67 लाख (पन्द्रह करोड सोलह लाख सडसठ हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0- 46 दिनांक-24.04.2025 के द्वारा प्रदान की गयी है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के आलोक में प्रथम अनुपूरक से प्राप्त **केन्द्रांश मद में कुल रू० 304.17 लाख (तीन करोड चार लाख सतरह हजार)** मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र	योजना का नाम	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	पूर्व में स्वीकृत राशि	अतिरिक्त स्वीकृत राशि
1	**मिशन शक्ति (सामर्थ्य)-शक्ति सदन**	**(51-2235021030234)**	0234.3104, 3106	1212.50	**304.17**
		(51-2235021030330)	0330.3104, 3106	304.17	**0.00**
कुल (तीन करोड चार लाख सतरह हजार)				1516.67	**304.17**

2. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आई.सी.डी.एस. निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, जिला स्तर पर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं प्रखंड/परियोजना स्तर पर सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश/CFMS में प्राप्त राशि के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वितीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक - 12888/वि0 दिनांक-03.12.2024, 227/वि० दिनांक 28.03.2025, 235/वि0 दिनांक 01.04.2025, पत्रांक-600/वि. दिनांक-06.08.2025 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों / परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. स्वीकृत्यादेश पर संचिका सं0- 3/यो-स०क०-48/2023/ के टिप्पणी पृष्ठ सं0-**26/टि0** पर दिनांक-**08.08.2025** को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं0-3/यो-स०क०-48/2023/ के टिप्पणी पृष्ठ सं0-**27/टि0** पर दिनांक-**13.08.2025** को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

13/8/25

(योगेश कुमार सागर)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 3/यो-स०क०-48/2023/........ /...104.........../दिनांक- 14.8.2025

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, आई.सी.डी.एस., निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/ सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/8/25
संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक- 3/यो-स०क०-48/2023/.......104 /........................./दिनांक- 14.8.2025

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/8/25
संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक- 3/यो-स०क०-48/2023/...104 /......................../दिनांक- 14.8.2025

प्रतिलिपि -विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/8/25
संयुक्त सचिव,